कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई एष के उपयोग के संबंध में आयोजित कॉन्फ्रेन्स का घोषणा पत्र

———0———

रायपुर डिक्लेरेषन – 02 जून 2017

माननीय नेषनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल के निर्देषानुसार तथा छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के मार्गदर्षन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ''कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई एष के उपयोगिता'' पर एक दिवसीय कॉन्फ्रेन्स का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेन्स की :

अध्यक्षता : माननीय न्यायमूर्ति श्री दलीप सिंह, न्यायिक सदस्य, माननीय नेषनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल

मुख्य अतिथि : माननीय श्री राजेष मूणत, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण, परिवहन एवं लोक निर्माण विभाग

विषिष्ट अतिथि : श्री एस.एस. गर्बियाल, विषेषज्ञ सदस्य, माननीय नेषनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल
श्री संजय शुक्ला, सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, मध्य प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उपस्थित प्रतिनिधि : छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेष एवं राजस्थान राज्यों के ताप विद्युत संयंत्रों के प्रतिनिधि, साऊथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स के प्रतिनिधि, फ्लाई एष ब्रिक मेन्युफेक्चरर एसोसिएषन के सदस्य, तीनों राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य प्रतिनिधि

कॉन्फ्रेन्स में डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ माईंस सेफ्टी, वेस्टर्न जोन, नागपुर, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एन.टी.पी.सी., नई दिल्ली एवं एक्जीक्यूटिव वाईस प्रेसिडेंट, मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा तकनीकी प्रस्तुतिकरण दिया गया।

कॉन्फ्रेन्स में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई एष के विभिन्न कार्यों में उपयोग की वर्तमान स्थिति, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने में आ रही समस्याओं, उसके निराकरण तथा राख के उपयोग में वृद्धि हेतु नये तकनीक एवं विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कॉन्फ्रेन्स में हुई चर्चा उपरांत निष्कर्ष के आधार पर निम्नानुसार घोषणा पत्र जारी किया जाता हैः–

1. ताप विद्युत संयंत्रों को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करते समय यह शर्त निर्दिष्ट की जावे कि उत्पन्न राख का उपयोग जिन–जिन कार्यों में सुनिष्चित किया जाना है, उसका चिन्हांकन कर एक्षन प्लान तैयार कर लिया जावे।
2. सक्षम प्राधिकारी यथा कोल मंत्रालय, भारत सरकार/इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स द्वारा राख (फ्लाई एष एवं बॉटम एष) से माईन क्लोजर किये जाने हेतु स्टेण्डर्ड विकसित किया जावे। स्टेण्डर्ड विकसित होने के पश्चात् उत्खनन हेतु माईनिंग प्लान में इसका समावेष सुनिष्चित होने पर ही अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।
3. कोल उत्खनन कम्पनियां ऐसे अनुपयुक्त (Economically Unviable) खदानों जिनमें काफी कम मात्रा में खनिज शेष है तथा उसमें उत्खनन वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, उनका एक वर्ष के भीतर चिन्हांकन कर माईन क्लोजर प्लान बनाकर राख (फ्लाई एष एवं बॉटम एष) से भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करना सुनिष्चित किया जावे।
4. डायरेक्टर जनरल ऑफ माईन्स सेफ्टी द्वारा यह स्पष्टीकरण जारी किया जावे कि खाद्यांनों (अंडर ग्राउंड एवं ओपन कास्ट) को राख (फ्लाई एष एवं बॉटम एष) से भरने हेतु उनसे पृथक से अनुमति की आवष्यकता नहीं है।
5. ''पॉल्युटर्स पे प्रिंसिपल'' के आधार पर राख (फ्लाई एष एवं बॉटम एष) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक ''फ्लाई एष उपयोगिता कोष'' की स्थापना राज्य शासन स्तर पर की जावे। इस कोष में राज्य में स्थित सभी ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादन क्षमता तथा उपयोग में लाये गये कोयले की मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर प्रतिवर्ष अंषदान का प्रावधान रखा जावे। साथ ही जो संयंत्र अनियंत्रित रूप से फ्लाई एष का अपवहन (Disposal) करते हैं, उनके ऊपर अधिरोपित अर्थदंड भी इस कोष में जमा किया जा सकता है।
6. 6. फ्लाई एष ब्रिक्स उत्पादकों एवं ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा संयुक्त रूप से एक को–आपरेटिव सोसायटी बनाया जावे। यह को–आपरेटिव सोसायटी यह सुनिष्चित करेगी कि फ्लाई एष ब्रिक्स उत्पादकों को राख (फ्लाई एष एवं बॉटम एष) नियमित एवं आसानी से उपलब्ध होता रहे। ''फ्लाई एष उपयोगिता कोष'' से इन उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जावे।

7. 500 मेगावाट एवं उससे अधिक क्षमता के ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई एष का उपयोग सुनिष्चित करने हेतु परिसर में ही केप्टिव सीमेंट ग्राईंडिंग यूनिट, केप्टिव लाईटवेट एग्रीगेट मेन्युफेक्चरिंग प्लांट, एष बेस्ड प्रोडक्ट्स मेन्युफेक्चरिंग प्लांट, इको फ्रेंडली प्लांट आदि की स्थापना की जावे।
8. राख (फ्लाई एष एवं बॉटम एष) का उपयोग अन्य लाभकारी कार्यों में करने एवं इसके उपयोग में वृद्धि करने हेतु नये तकनीक एवं विकल्पों तथा कृषि कार्यों में उपयोग, लो कास्ट हाउसेस निर्माण में राख का उपयोग आदि में रिसर्च एवं डेव्हलपमेंट (R and D) को बढ़ावा दिया जावे।
9. एष बेस्ड प्रोडक्ट्स मेन्युफेक्चरिंग प्लांट्स की स्थापना एवं संचालन हेतु करों में वित्तीय छूट (Fiscal incentives) प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आवष्यक पहल किया जावे।
10. ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा ''कार्पोरेट सोषल रिस्पॉसिबिलिटी'' (सी.एस.आर.) मद में राषि का प्रावधान कर रोजगार के दृष्टिकोण से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लाई एष ब्रिक प्लांट्स की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जावे। साथ ही इन ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर फ्लाई एष ब्रिक उपलब्ध कराने, ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु पेव्हर ब्लॉक उपलब्ध कराने एवं तालाब में घाट निर्माण हेतु फ्लाई एष उत्पाद उपलब्ध कराना सुनिष्चित किया जावे।
11. जिस तरह विद्युत संयंत्रों तथा कोयला खदान में अनुबंध (Linkage) है, उसी प्रकार का अनुबंध फ्लाई एष का उपयोग करने वाले संयंत्र के साथ भी होना चाहिये। इसके अतिरिक्त रेलवे विभाग रिक्त रेक की वापसी के समय फ्लाई एष के परिवहन के लिए रियायती दरों पर रेक (Wagon) उपलब्ध कराया जावे। इस हेतु कार्यवाही सुनिष्चित की जाये।

कॉन्फ्रेन्स में यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त अनुषंसाओं को संबंधित प्राधिकारियों/संस्थाओं को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे।

Conference on Utilization of Fly Ash by Coal Based Thermal Power Plants

(Raipur Declaration – 02 June 2017)

In pursuance of the direction of Hon'ble National Green Tribunal, Central Zonal Bench, Bhopal and under the guidance of Government of Chhattisgarh, Department of Housing and Environment, Chhattisgarh Environment Conservation Board organized a conference on "Utilization of Fly Ash by Coal Based Thermal Power Plant" at Raipur. The conference was:

Presided by : Hon'ble Justice Shri Dalip Singh, Member Judicial
Hon'ble National Green Tribunal, Central Zonal Bench, Bhopal

Chief Guest : Shri Rajesh Munat, Hon'ble Minister, Govt. of Chhattisgarh
Ministries of Environment, Housing, PWD and Transport

Dignitaries : Shri S.S. Garbiyal, Expert Member
Hon'ble National Green Tribunal, Central Zonal Bench, Bhopal
Shri Sanjay Shukla, Secretary
Dept. of Housing and Environment, Govt. of Chhattisgarh
Shri A.A. Mishra, Member Secretary
Madhya Pradesh Pollution Control Board

Delegates : Representatives of Thermal Power Plants of the State of Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh
Representatives of South Eastern Coalfields Limited (SECL)
Members of Fly Ash Manufacturers Association
Officials of Pollution Control Boards and others.

Technical presentations were delivered by Deputy Director, General of Mines and Safety, Central Zone, Nagpur, Executive Director, NTPC, New Delhi and Executive Vice President, M/s Jindal Power Limited, New Delhi in the conference.

In the conference extensive discussions were held on issues related to present status of use of fly ash in various activities, challenges encountered in implementing the provisions of notification issued by MoEF&CC and its remedies, new techniques and the options to enhance the utilization of fly ash. Based on the conclusions attained after deliberations, following declaration is issued:

1. While issuing environmental clearance to Thermal Power Plants, a condition is to be incorporated regarding preparation and submission of an action plan indentifying various possible activities where fly ash can be utilized.
2. Competent authorities such as Ministry of Coal, Government of India/Indian Bureau of Mines shall develop standards for closure of mines using ash (fly ash and bottom ash). Upon development of the standards, approval of mining plan should be done only after ensuring incorporation of such standards in the mining plan.
3. Coal companies shall identify economically unviable coal mines within one year having meager quantity of mineral deposits and in which mining is uneconomical and shall ensure commencement of action for filling with ash (fly ash and bottom ash) after preparation of mine closure plan.
4. Director General, Mines and Safety shall issue clarification that no separate permission is required from the department for filling of ash (fly ash and bottom ash) in the mines (underground and opencast).
5. In order to enhance the utilization of ash (fly ash and bottom ash) State Government, on the basis of “Polluter’s Pay Principle” shall create “Fly Ash Utilization Fund”. All thermal power plants of the state shall contribute their amount in this fund on the basis of production capacity, quantity and quality of coal used by them. Additionally, fine imposed on thermal power plants for indiscriminate dumping of ash, shall also be deposited in this fund.
6. Fly ash brick manufacturers and thermal power plants together shall form Co-operative Society. This Co-operative Society shall ensure regular and easy availability of ash (fly ash and bottom ash) to fly ash product manufacturers. The financial support may be provided to these manufacturers from “Fly Ash Utilization Fund”.

7. Thermal power plants having capacity greater than or equal to 500 MW shall establish Captive Cement Grinding Unit, Lightweight Aggregate Manufacturing Plant, Ash Based Products Manufacturing Plant, Eco Friendly Products Plant etc. in their plant premises to ensure use of fly ash.
8. In order to make use of ash (fly ash and bottom ash) in other beneficial activities and to enhance its utilization, new technique and alternatives, use in agriculture activities, construction of low cost housing projects etc. shall be explored and encouraged through Research and Development (R and D).
9. The Central and State Government shall take necessary initiatives by providing subsidy in taxes (Fiscal Incentives) for the establishment and operation of ash based products manufacturing plants.
10. Thermal power plants shall make provisions for suitable fund under the head of “Corporate Social Responsibility” (CSR) and in view of employment generation, financial support may be instituted for the establishment of fly ash brick plants in nearby village areas. Additionally, availability of fly ash bricks at cheaper rates in these village areas, use of paver blocks for construction of village roads and fly ash products for construction of lake bunds shall be ensured.
11. As there are linkages among power plants and coal mines, similar linkages shall also be ensured among power plants and plants using fly ash. Additionally, Department of Railway shall make available empty wagons during returns at subsidized rate for the transportation of fly ash. Necessary action shall be ensured in this regard.

It was decided in the conference that concerned authorities/ agencies shall be informed about the above recommendations for necessary action at their end.